RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक ११ (३)] मंगळवार, जून ५, २०१८/ज्येष्ठ १५, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २९ मार्च २०१७ ई. को पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम १७७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३ मई २०१८।

MAHARASHTRA ORDINANCE NO. XII OF 2018.

A ORDINANCE

Further to amend the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 1963.

विधानसभा का विधेयक क्र. १२, सन् २०१८।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनो का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ;

सन् १९६४ का महा. २०।

अब, इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियम) (संशोधन) अधिनियम, २०१८ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९६३ की धारा १३ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (ख) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६४ का. २०।

"(ख) बाजार क्षेत्र में, ऐसे रुप में कार्यरत रहने के लिये एक महीने से अनधिक के लिये अनुज्ञप्ति धारण करनेवाले और जिसने, ऐसे क्षेत्र में, कम-से-कम दस हजार रुपयों का संव्यवहार किया हैं, व्यापारियों और कमिशन एजंटों द्वारा दो निर्वाचित किये जायेंगे ; " ।

वक्तव्य

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) बाजार क्षेत्रों और राज्य में उसके लिये स्थापित बाजारों, निजी बाजारों और किसान उपभोक्ता बाजारों समेत, में कृषक और कतिपय अन्य उपज के विकास और विनियमन करने के लिये, ऐसे बाजारों के संबंध में या से संबंधित प्रयोजनों के लिये कार्य करनेवाली बाजार समितियों को शक्ति प्रदान करने और उससे संबंधित मामलों के लिए उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया हैं।

२. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, किसानों की कृषि उपज के लिये बेहतर कीमत मिलने के लिये निरंतर प्रयास कर रही हैं। इस प्रयोजन के लिये, कृषि उपज की नीलामी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने के लिये व्यापारियों को अधिक अनुज्ञप्तियाँ जारी किये गये हैं। यदि सभी व्यापारियों को, जिनके पास लाइसेंस हैं, उन्हें मत देने का अधिकार मिलें, तब व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी और अंततः व्यापारियों की बढ़ती संख्या, किसानों की, उनकी कृषि उपज के लिये बेहतर कीमत मिलने में सहायक होगी। उक्त अधिनियम की धारा १३ बाजार समितियों के गठन के लिये उपबंध करती हैं। उक्त धारा १३ की उप-धारा (१) का खण्ड (ख) यह उपबंध करता हैं कि, दो सदस्य बाजार क्षेत्र में व्यापारियों और कमिशन एजंट के रुप में कार्य करने के लिये कम से कम दो वर्षों से अनधिक के लिये अनुज्ञप्ति धारण करनेवाले व्यापारीयों और कमिशन एजंटों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। उक्त खण्ड (ख) में दो वर्षों की आवश्यकता की दृष्टि में, यह ध्यान में आया हैं कि, बाजार क्षेत्र में इस रुप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति धारण करनेवाले कई व्यापारी और कमिशन एजंट उनके प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने से अपवर्जित रह जाते हैं। इसलिये, बाजार क्षेत्र में इस रुप में कार्य करने के लिये एक महीने से अनून के लिये अनुज्ञप्तियाँ धारण करने वाले और जिन्होंने, ऐसे क्षेत्र में कम-से-कम दस हजार रुपयों का सौदा किया हैं, ऐसे सभी व्यापारियों और कमिशन एजंटों को, बाजार समितियों पर उनके प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिये समर्थ बनाने के लिये निकषों को बदलने की दृष्टि से, उक्त खण्ड (ख) में संशोधन करना, इष्टकर समझा गया हैं। उक्त अधिनियम के हाल ही के संशोधनों के अनुसार कई बाजार समितियों के निर्वाचन निकट भविष्य में होने के कारण, उक्त अधिनियम के उक्त खण्ड (ख) में शीघ्रता से संशोधन करना आवश्यक हुआ हैं।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं, अतः, यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,
दिनांकित २ मई २०१८।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से।

विजय कुमार,
सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.